विश्व व्यापार संगठन व खेती किसानी की रक्षा

भारत डोगरा

हाल के समय में विश्व व्यापार मंचों पर यह एक बड़ा मुद्दा बना है कि क्या भारत जैसे विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से व्यापार नियमों का उल्लंघन होता है। बाली (इंडोनेशिया) में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई। भारत ने अपना पक्ष मज़बूती से रखा और अंतरिम तौर पर भारत की इस बात को माना भी गया कि भारत की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के विरुद्ध फिलहाल विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

विश्व व्यापार संगठन के इस फैसले से भारत सरकार को चाहे राहत महसूस हुई हो पर इस विवाद से कई अन्य सवाल उत्पन्न हुए हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के दायरे को इतना विस्तृत करना उचित है कि इससे कई विकासशील देशों की खेती-किसानी व खाद्य सुरक्षा नियम प्रभावित हों? इस सवाल का संतोषजनक उत्तर अभी हमें तलाशना है क्योंकि अंतरिम समझौते में चाहे हमें राहत मिल गई है, पर जब तक विश्व व्यापार संगठन के नियम इतने विस्तृत बने रहेंगे, तब तक भविष्य के लिए भी यह संभावना बनी रहेगी कि खेती-किसानी की सुरक्षा सम्बंधी नियम-कानून के लिए हमें विश्व व्यापार संगठन की ओर देखना पड़ेगा या उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी जो एक असहनीय स्थिति है।

दूसरा सवाल आयात सरलीकरण या सहजीकरण से सम्बंधित है। इसे विकसित देशों ने हाल के समय में अधिक महत्व दिया है व इसके पक्ष में बाली मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में निर्णय भी लिए गए हैं। चूंकि पहले भी विश्व व्यापार संगठन के नियमों में किए गए बदलावों से भारत जैसे देशों में कई आयात तेज़ी से बढ़े थे और इसका किसानों, मज़दूरों व छोटे उद्यमियों की आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ा था, अतः इस बारे में चिंता है कि आयात सरलीकरण के दौर में प्रतिकूल असर न हो। हालांकि यह कहा गया है कि दूसरे देशों द्वारा आयात सरलीकरण से भारत के निर्यात भी बढ़ेंगे, पर इसकी वास्तविक संभावना बहुत कम है। आयात सरलीकरण का अधिक लाभ विकसित देशों व चीन को मिलने की संभावना है। शायद यही वजह थी कि चीन ने विश्व व्यापार संगठन में इस बार भारत से सहयोग नहीं किया हालांकि भारत ने काफी न्यायसंगत मुद्दे उठाए थे।

भारत जैसे विकासशील देशों को अपने किसानों को बढ़ते आयातों के संकट से बचाने के लिए उचित समय पर अनुकूल कदम उठाने चाहिए। इस तरह आवश्यक कदम उठाते समय उन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों के कारण कोई रोक नहीं लगनी चाहिए क्योंकि अपनी अधिसंख्य आबादी की आजीविका की रक्षा करने का हर देश को अधिकार है। साथ ही यह किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए असहनीय माना जाएगा कि किसान संकट में धंसते चले जाएं और किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते के कारण सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। अतः भारत सरकार को यह स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए कि वह विश्व समुदाय के साथ मिलकर, आपसी सहयोग से सार्थक कार्य तो अवश्य करना चाहती है, पर साथ ही साथ वह अपने किसानों (व

अन्य ज़रूरतमंद तबकों) की आजीविका व जीवन की रक्षा के लिए सदा स्वतंत्र रहेगी।

कृषि व खाद्य आयातों का एक अन्य पक्ष यह है कि अनेक निर्यातक देश जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त कृषि उत्पाद उगा रहे हैं तथा यह संभावना बढ़ रही है कि इन उत्पादों का भी निर्यात किया जाएगा। इनके उपयोग से स्वास्थ्य व पर्यावरण सम्बंधी अनेक खतरे जुड़े हैं जिन पर अब तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। यदि इनका उपयोग खाद्य के अतिरिक्त बीज के रूप में भी होने लगा तो खतरे और बढ़ जाएंगे।

कृषि बीज सम्बंधी पेटेंट कानून चिंता का एक अन्य विषय है क्योंकि इसके माध्यम से बीज महंगे हो जाएंगे और किसानों की बीज सम्बंधी निर्भरता बहुराष्ट्रीय व अन्य बड़ी बीज कंपनियों पर बहुत बढ़ जाएगी। किसानों के बीज अधिकारों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। एक मूल मांग जो जीवन के विभिन्न रूपों को पेटेंट कानून से मुक्त करने के लिए उठाई गई थी वह आज भी बहुत सार्थक है और उसे भूलना नहीं चाहिए।

कुछ लोग यह कहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन से भारतीय किसानों को अनेक नए अवसर भी उपलब्ध होंगे क्योंकि उनके लिए विकसित देशों को निर्यात करने के द्वार खुलेंगे। विकसित देशों ने अपने व्यापार शुल्कों में विशेष कमी नहीं की है किन्तु यदि वे ऐसा करते हैं तो भी निर्यात के नए अवसरों का अधिकांश लाभ कुछ धनी भूस्वामियों या अनुबंध पर खेती कराने वाली कुछ कंपनियों को ही मिलेगा।

इसके अलावा, यह ध्यान में रखना ज़रूरी है कि निर्यात फसलों के लिए कई बार बहुत पानी की ज़रूरत होती है जिससे चंद वर्षों में ही भूजल स्तर नीचे जा सकता है। कुछ निर्यात के अवसरों के साथ विशिष्ट तरह की तकनीकों, दवाओं आदि को अपनाने के निर्देश जुड़े होते हैं जिनको अपनाने से मिट्टी के उपजाऊपन में तेज़ी से कमी आ सकती है। संक्षेप में यह कहना ज़रूरी है कि कृषि निर्यात का हर अवसर निश्चित तौर पर लाभप्रद नहीं माना जा सकता है। केवल चंद लोगों के अल्पकालीन मुनाफे की दृष्टि से नहीं बल्कि मिट्टी व जल संरक्षण जैसे बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जा सकता है कि कोई नया निर्यात अवसर अपनाने योग्य है अथवा नहीं।

अतः विश्व व्यापार संगठन के नियमों व समझौतों के अंतर्गत जिन नए अवसरों के सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं, वे सीमित आधार के हैं या अनिश्चित हैं। दूसरी ओर, अधिक आयातों के कारण उत्पन्न रोज़ी-रोटी का संकट, जेनेटिक इंजीनियरिंग के उत्पादों के कारण उत्पन्न स्वास्थ्य व पर्यावरण के दुष्परिणाम तथा बीज पेटेंटों के कारण किसानों की बढ़ती निर्भरता ऐसी समस्याएं हैं जो बड़ी संख्या में हमारे किसानों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं।

हाल में बाली में चर्चित मुद्दों को इन अधिक व्यापक मुद्दों के संदर्भ में देखना चाहिए तभी खेती-किसानी की रक्षा की व्यापक समझ बन सकेगी। ***(स्रोत फीचर्स)***

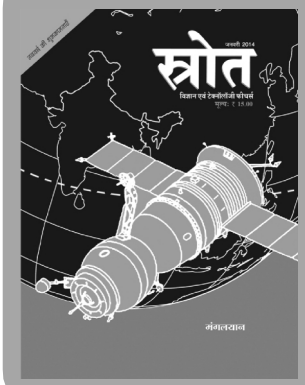

स्रोत के ग्राहक बनें, बनाएं

वार्षिक सदस्यता

व्यक्तिगत 150 रुपए संस्थागत 300 रुपए

स्रोत सजिल्द 2013 उपलब्ध है

मूल्य 200 रुपए

राशि एकलव्य, भोपाल के नाम ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से

ई-10,शंकर नगर, बी.डी.ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) 462 016

के पते पर भेजें।